न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2018 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 09.02.2018

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए. यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर में स्थित व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

1-मैसर्स मुरलीधर राजकुमार प्रोपराईटर श्री राजकुमार केवलानी निवासी 12-13, बडी सब्जी मण्डी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज)
2-श्री राजकुमार केवलानी पिता श्री हसुमल केवलानी निवासी 88, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज)
3-श्रीमति कविता केवलानी पत्नि श्री राजकुमार केवलानी निवासी 88, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज)

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री विनोद खाण्डल, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 02.07.2019

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 1,40,00,000/- रू. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार पोखरना ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। दौराने बहस विपक्षीगण एवं उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

(2)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बैंक के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी बैंक ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

Plot No. 86, Adarsh Colony Karamchari Yojna, Nimbahera District Chittorgarh, Rajasthan Admeasuring 2408 sq. feet, Owned by Mr. Rajkumar Kevlani & Mrs. Kaveeta Kevlani W/o Mr. Rajkumar Kevlani Which is bounded as under:-

East	**:-**	**Plot No. 79**	**West**	**:-**	**Road**
North	**:-**	**Plot No. 85**	**South**	**:-**	**Road**

उक्त सम्पति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 02.11.2017 तक राशि रूपये 1,42,89,276/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

ऋणी ने जवाब प्रस्तुत किया कि सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 13(2) मे यह स्पष्ट प्रावधान है की ऋणी को डिमाण्ड नोटिस भेजा जायेगा ताकि ऋणी को वास्तविक तथ्यों की जानकारी हो सके परन्तु ऐसा कोई नोटिस प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी को भिजवाया गया हो और ऋणी को उक्त तथ्य की जानकारी हो गई हो फिर भी ऋणी द्वारा ऋण जमा नहीं कराया गया हो ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा आदेशात्मक प्रावधानों का उल्लंघन होने से प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। जहां तक ऋणी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी बैंक द्वारा उन्हें धारा 13(2) के तहत डिमाण्ड नोटिस नहीं भेजा है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 17.11.17 को विपक्षीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. धारा 13(2) के नोटिस प्रेषित किए गए हैं जो कि विपक्षीगण को प्राप्त भी हुए हैं उनकी प्राप्ति रसीदें प्रार्थी बैंक द्वारा दस्तावेज सूची के साथ प्रस्तुत की गई है। इसलिए विपक्षीगण के अधिवक्ता का यह कथन की उन्हें उक्त एक्ट के तहत धारा 13(2) के नोटिस नहीं भेजे गए हैं मानने योग्य नहीं है।

प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने बैंक के पक्ष में रहन रखी है। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गयी सम्पति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा बैंक में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official